Witness No **2** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **20/10/2023** day of **शुक्रवार** Witness's apparent age **28 वर्ष** State of affirmation **शपथपूर्वक** My Name is **गिरधारी साहू** Son/Wife of **स्व. श्री राजकुमार साहू** Occupation **वाहन चालक** Address **ग्राम सेमरिया, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.)**

CRIMINAL CASE 2044/2022
State of Chhattisgarh Vs Ramesh Kumar @ Bunchu Burman
Time 03:50 to 04:00

01– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी रमेश उर्फ बुच्चे बर्मन को नहीं पहचानता हूं। घटना के बारे मे मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने मुझसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर लिये थे। हस्ताक्षर क्यों करवाये थे , मुझे जानकारी नहीं है।

02– धारा 160 की नोटिस प्र.पी 01, मुखबिर पंचनामा प्र.पी 2, जप्ती पत्रक प्र.पी 3, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी 4, घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी 5 के क्रमशः ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

टीप–इसी स्तर पर **अभियोजन** द्वारा साक्षी से धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण के सामान प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही, अभिलेख का अवलोकन किया गया, विचारोपरांत अनुमति प्रदान की गयी।

03– यह कहना गलत है कि दिनांक 31–08–2022 को ग्राम कोसा कोलिहापारा में आरोपी के आधिपत्य से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के भीतर दो नग जरीकेन 10–10 लीटर वाला में भरा हुआ 20 लीटर महुआ शराब को पुलिस वाले मेरे समक्ष जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि प्र.पी. 1 से प्र.पी 5 तक की संपूर्ण कार्यवाही पुलिस वाले मेरे समक्ष किये थे।

04– यह कहना गलत है कि प्र.पी 7 के अ से अ भाग का कथन पुलिस को दिया था। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एम.पी. साहू अधिवक्ता वास्ते आरोपी

05– यह कहना सही है कि हस्ताक्षर करते समय उक्त दस्तावेजों पर कुछ नहीं लिखा था।

वाचित स्वीकृत	मेरे निर्देश पर टंकित
सही/-	सही/-
(सर्व विजय अग्रवाल)	(सर्व विजय अग्रवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	जांजगीर-चांपा (छ.ग.)